वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं. 5-1(234)/2014-पीडी दिनांक: 17.07.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों (एसओ/पीएस) को केंद्रीय सचिवालय सेवा/केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएस/सीएसएसएस) के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के समान प्रदान किए गए नॉन-फंक्शनल स्केल (एनएफएस) की दिनांक 01.01.2017 से समाप्ति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सीएसआईआर के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 03.07.2026 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि गैर-प्रकार्यात्मक वेतनमान (एनएफएस) प्रदान किया जाना दिनांक 01.01.2017 से समाप्त कर दिया गया है तथा एनएफएस का लाभ प्राप्त कर चुके सभी कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण उक्त लाभ प्रदान किए जाने की तिथि से किया जाएगा, तथा इस संबंध में की जाने वाली परिणामी कार्रवाइयों को निर्दिष्ट किया गया था।

2. इस संबंध में, सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासन नियंत्रक, वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक की संयुक्त सचिव (प्रशासन) के साथ दिनांक 07.07.2026 को हुई बैठक के दौरान यह सन्दर्भ उठाया गया कि क्या एनएफएस का लाभ प्राप्त कर चुके सभी कार्यरत समान संवर्ग अधिकारियों (सीसीओ) के वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाना है अथवा केवल उन सीसीओ के मामले में जिन्हें दिनांक 01.01.2017 को अथवा उसके पश्चात एनएफएस का लाभ प्रदान किया गया था।

3. इस विषय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर के परामर्श से विचार एवं परीक्षण किया गया है, और यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआईआर में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव (एसओ/पीएस) के रूप में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात एनएफएस का लाभ प्राप्त कर चुके सभी कार्यरत समान संवर्ग अधिकारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण उक्त लाभ प्रदान किए जाने की तिथि से किया जाएगा, चाहे यह लाभ जिस भी तिथि से दिया गया हो, यह मानकर कि, सीएसआईआर द्वारा प्रदत्त एनएफएस का लाभ प्रारंभ से ही (अर्थात दिनांक 03.10.2003 से) समाप्त कर दिया गया है।

4. इसे, संबंधित सभी, को अनुपालनार्थ तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ लाया जाए।

(छेरिंग तोबदन)
वरिष्ठ उप सचिव (नीति प्रभाग)

सेवा में:

1) सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/मुख्य प्रशासन नियंत्रक / अवर सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी
2. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय/प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/इकाइयों के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक / उप वित्तीय सलाहकार/ वित्त एवं लेखा नियंत्रक / वित्त एवं लेखा अधिकारी

(1 एवं 2) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

3. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4. संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
5. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
6. सीएसआईआर वेबसाइट
7. कार्यालय प्रति